

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 021 फोन -2732193, फैक्स-2732185

पत्र संख्या : उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०वा०/2010/5756/-65

दिनांक : 6 फरवरी, 2010

सेवा में.

निदेशक, गोयल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, लखनऊ।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 1945/सोलह-1-2009-13(4)/2009, दिनांक 24 जुलाई 2009 तथा पत्र संख्या 1949/सोलह-1-2009-13(7)/2009, दिनांक 25 जुलाई 2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमित से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28 जुलाई 2009 में गोयल इंस्टीट्र्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, लखनऊ के अन्तर्गत निम्न पाठ्यक्रमों को-

1.	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०	60 सीट
2.	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजी०	60 सीट
3.	इनफारमेशन टेक्नोलाजी	60 सीट
4.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60 सीट
5.	सिविल इंजीनियरिंग	60 सीट

उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु दिनांक 1-7-2009 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

- संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं /विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन /विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
- संस्था से एक माह के अन्दर, विलम्बतम 30 अक्टूबर, 2009 तक संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
- 4. संस्था द्वारा उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 तक अपनी वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोधित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

- अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 6. संस्था में पायी गयी किमयों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2010-11 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सिम्मिलित किया जा सकेगा।
- संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई किमयों नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- जिन संस्थाओं की अभातिशप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अथीन होगी।
- प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकिस्मक निरीक्षण में किसी प्रकार की किमयाँ पायी जाने/विचलन की रिथित में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू०एस०तोमर) कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, कुलाथिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू०एस०तोमर)

कुलसचिव

यू0एस0 तोमर कुलसचिव



उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

आई०ई०टी० परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ-226021 दूरभाषः 0522-2732193 फैक्सः 0522-2732185

पत्रांकः उ०प्र0प्रा0वि०/कुस0का०/2010/ ६२ 77० - 7 ५

दिनांक 3-3- 2010

सेवा में, निदेशक, गोयल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, लखनऊ

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 1949/ सोलह-1-2009-13(7)/2009 दिनांक 25 जुलाई 2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमित से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28 जुलाई 2009 मे, गोयल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, लखनऊ को एम.बी.ए. पाठ्यक्रम 60 सीट की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु दिनांक 1-7-2009 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

- 1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी तथा शिक्षण प्रशिक्षण से सम्बंधित शासन/विश्वविद्यालय द्वारा वांछित सूचना समय से उपलब्ध करायेगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- 2. संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं/विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन/विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वत: निरस्त समझी जाएगी।
- 3. संस्था से एक माह के अन्दर, संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
- 4. संस्था द्वारा छात्रों से ली गयी फीस की सूचना एक पक्ष के अन्दर अपनी वेबसाइट पर प्रदिशत करते हुए इसकी सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।
- 5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वत: निरस्त हो जायेगा।

- संस्था में पायी गयी किमयों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2010.11 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सिम्मिलित किया जा सकेगा।
- संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई किमयाँ नहीं है, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
 - जिन संस्थाओं की अभातिशाप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बंध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बंधित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।
 - प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की किमयाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
- प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ। 2.
- अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
- सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

यू०एस०क्रीमर



उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी परिसर, सीतापुर रोड, लखनऊ - 226 021 फोन -2732193, फैक्स-2732185

पत्र संख्या : उ०प्र०प्रा०वि०/कुस०का०/2010/5756/-65

दिनांक : 6 फरवरी, 2010

सेवा में,

निदेशक, गोयल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, लखनऊ।

विषय : संस्था को शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु सम्बद्धता के सम्बन्ध में। महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह सूचित करने की अपेक्षा है कि शासन के पत्र संख्या 1945/सोलह-1-2009-13(4)/2009, दिनांक 24 जुलाई 2009 तथा पत्र संख्या 1949/सोलह-1-2009-13(7)/2009, दिनांक 25 जुलाई 2009 के द्वारा उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 की धारा 23(2) के अधीन शासन की पूर्वानुमित से कार्य परिषद द्वारा अपनी बैठक दिनांक 28 जुलाई 2009 में गोयल इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एण्ड मैनेजमेन्ट, लखनऊ के अन्तर्गत निम्न पाठ्यक्रमों को-

1.	कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी०	60 सीट
2.	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनीकेशन इंजी०	60 सीट
3.	इनफारमेशन टेक्नोलाजी	60 सीट
4.	मैकेनिकल इंजीनियरिंग	60 सीट
5.	सिविल इंजीनियरिंग	60 सीट
		00 (110

उनके सम्मुख अंकित प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2009-10 हेतु दिनांक 1-7-2009 से सम्बद्धता की स्वीकृत प्रदान की गई है:-

- 1. संस्था व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन/उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश/शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित नियमानुसार अनुमन्य फीस ही प्रवेशित छात्रों से लेंगी अन्यथा सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
- संस्था को सम्बद्धता प्राप्त हो जाने के उपरान्त यदि संस्था द्वारा दर्शायी गयी सूचनाओं /विवरण में किसी भी प्रकार की त्रुटि शासन /विश्वविद्यालय के संज्ञान में आती है तो संस्था को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः निरस्त समझी जाएगी।
- 3. संस्था से एक माह के अन्दर, विलम्बतम 30 अक्टूबर, 2009 तक संस्था में कार्यरत शिक्षकों की अनुमोदित सूची विश्वविद्यालय को प्रस्तुत की जायेगी ताकि इसे निर्देशानुसार उ०प्र० शासन को प्रस्तुत किया जा सके।
- 4. संस्था द्वारा उ०प्र० प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को दिनांक 20 अक्टूबर, 2009 तक अपनी वेबसाइट पर यह सूचना उपलब्ध करायी जायेगी कि उनके द्वारा छात्रों से क्या फीस ली गयी है, अन्यथा संस्था के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जायेगा।

- 5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त न होने अथवा समाप्त होने की दशा में सम्बद्धता का यह अनुमोदन स्वतः निरस्त हो जायेगा।
- 6. संस्था में पायी गयी किमयों का पूर्ण रूपेण निराकरण हो जाने के पश्चात् ही प्राविधिक विश्वविद्यालय से आगामी वर्ष अर्थात 2010-11 की सम्बद्धता विस्तारण की संस्तुति की जा सकेगी और तभी संस्था को प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा।
- 7. संस्था का शैक्षिक वर्ष के अन्तर्गत किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण विश्वविद्यालय द्वारा किया जा सकेगा और उक्त आकस्मिक निरीक्षण में निर्धारित मानकों के सापेक्ष कोई किमयाँ नहीं हैं, संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 8. जिन संस्थाओं की अभातिशप एवं विश्वविद्यालय के मानकों के सम्बन्ध में शासन अथवा विश्वविद्यालय स्तर से कोई निरीक्षण अथवा जांच की जाती है अथवा कोई नोटिस जारी की जाती है तो सम्बन्धित संस्था(ओं) की सम्बद्धता तद कार्यवाही के अधीन होगी।
- 9. प्रश्नगत संस्था द्वारा प्रवेश में उ.प्र. शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 का अनुपालन किया जायेगा।

उपर्युक्त शर्तों के अनुपालन में अथवा संस्था के आकस्मिक निरीक्षण में किसी प्रकार की किमयाँ पायी जाने/विचलन की स्थिति में संस्था की सम्बद्धता सम्बन्धी विशेषाधिकार को कम करने अथवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय

(यू०एस०तोमर) कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 1. प्रमुख सचिव, कुलाधिपति / श्री राज्यपाल महोदय, राजभवन लखनऊ।
- 2. प्रमुख सचिव, व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3. अध्यक्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नुई दिल्ली।
- 4. सम्बन्धित संस्था की पत्रावली।

(यू०एस०तोमर) • कुलसचिव